सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 52/प्रा0पत्र/2024 दायरा दिनांक :–03.05.2024

GCMS ID–2024/69

उनवान

1. महेन्द्रसिंह आ0 सुरजमल जाति मीणा निवासी बिशनपुरा हाल निवासी उदयपुर जिला उदयपुर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।
2. सरपंच ग्राम पंचायत देवजी का थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. पुष्पा बाई पत्नी मोहनलाल जाति मीणा निवासी बिशनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी हिण्डोली, जिला बून्दी राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री शम्भूदयाल शर्मा

वकील अप्रार्थीगण :– अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 एक पक्षीय कार्यवाही

अप्रार्थी संख्या 1 परोकार सरकार

आदेश

दिनांक : 16.04.2025

प्रार्थीया का मुख्य रूप से कथन है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 774 रकबा 0.3804 हैक्टेयर, खसरा संख्या 921/770 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा संख्या 950/922 रकबा 1.1736 हैक्टेयर वाके ग्राम बिशनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है, जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 950/922 के समीप 778 व 775 सरकारी भूमि है तथा अप्रार्थी संख्या 3 पुष्पाबाई की भूमि खसरा संख्या 949/922 की समीपस्त भूमि है। भूमि खसरा संख्या 921/770 के समीप आबादी भूमि खसरा संख्या 947/770 भूमि है, इसके साथ ही भूमि खसरा संख्या 774 के सहारे सिवायचक सरकारी भूमि है। प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 921/770 के सहारे आबादी भूमि की होने से ग्राम पंचायत थाना को पक्षकार बनाया गया है व भूमि खसरा संख्या 950/922 के समीप पुष्पाबाई की भूमि होने से पुष्पाबाई को पक्षकार बनाया है। इसके साथ ही सरकारी भूमि के स्वामी राजस्थान सरकार तहसीलदार हिण्डोली हो पक्षकार बनाया है साथ ही प्रार्थी की भूमि के सहारे जंगलात की भूमि खसरा संख्या 897 स्थित होने से क्षेत्रीय वन अधिकारी को पक्षकार बनाया है यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का प्रार्थी खातेदार

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

है, लेकिन प्रार्थी की भूमि की सीमाओं पर कोई मुस्तकिन निशान नहीं होने से तथा सीमाबंधी के बाबत कोई स्थायी चिन्ह नहीं होने से प्रार्थी अपनी भूमि पर तारपेंसिंग वगै0 नहीं करवा पा रहा है। प्रार्थी चाहता है कि अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाकर अपनी सीमाओं पर तारपेंसिंग कर सके। इस कारण अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी नहीं होने से प्रार्थी अपनी भूमि पर पूर्व में तारपेंसिंग नही कर पाया है, वर्तमान में आवारा मवेशी वगै0 प्रार्थी की फसलों को नष्ट करते है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाकर अपनी भूमि की सीमा पर तारपेंसिंग करना नितान्त आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने तहसीलदार हिण्डोली के समक्ष सीमाज्ञान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन पटवारी हल्का ने ग्राम पंचायत सरपंच की उपस्थिति के बिना सीमाज्ञान करने से इन्कार कर दिया था। इस कारण प्रार्थी अब आबादी भूमि के स्वामी सरपंच ग्राम पंचायत थाना व सिवायचक भूमि के स्वामी सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार को प्रकरण में पक्षकार बनाकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी ने तहसीलदार हिण्डोली के समक्ष दिनांक 15.04.2024 को पत्थरगढी हेतु निवेदन किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय के आदेश के बिना पत्थरगढी करने से इन्कार कर दिया है, इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी नियमानुसार शुल्क जमा करवाने को तैयार है प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क मय तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 774 रकबा 0.3804 हैक्टेयर, खसरा संख्या 921/770 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, ,खसरा संख्या 950/922 रकबा 1.1736 हैक्टेयर वाके ग्राम बिशनपुरा तहसील हिण्डोली की पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी जरिए नोटिस की गई जिस पर अप्रार्थी नम्बर 2 लगायत 4 बावजूद तामिलों के पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार सरकार की ओर से राशि जमा करवाने उपरान्त पत्थरगढी आदेश किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम बिशनपुरा पटवार मण्डल थाना तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 170 के

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

अनुसार प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 170 के खसरा संख्या 774 रकबा 0.3804 हैक्टेयर, खसरा संख्या 921 / 770 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा संख्या 950 / 922 रकबा 1.1736 हैक्टेयर वाके ग्राम बिशनपुरा पटवार मण्डल थाना तहसील हिण्डोली जो कि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थी से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थी व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/04/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446